


विकासात्मक नीतियों का संचालन एवं उत्तर प्रदेश में बहुजन
समाज पार्टी का शासनकाल : रायबरेली तथा फैजाबाद
जनपद के विशेष सन्दर्भ में (2007-2012)

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ से

राजनीति विज्ञान विभाग विषय में पीएच० डी०

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध— सारांश



शोध पर्यवेक्षक

डॉ० सिद्धार्थ मुखर्जी

(असिस्टेन्ट प्रोफेसर)

राजनीति विज्ञान विभाग

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ

शोधकर्ता

अजय भारती

राजनीति विज्ञान विभाग

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ

लखनऊ-226025

2016

शोध—सारांश

प्रस्तुत शोध का शीर्षक **विकासात्मक नीतियों का संचालन एवं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल रायबरेली तथा फैजाबाद जनपद के विशेष सन्दर्भ में (2007–2012)** है। यह शोध छः अध्यायों में विभाजित है।

इन अध्यायों में गवर्नेन्स एवं गुड गवर्नेन्स की वैश्विक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की गई है एवं दक्षिण एशिया तथा भारत के विशेष संदर्भ में मानव विकास की अवस्था का विस्तारपूर्वक आकलन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का उदय एवं उदय के कारण की व्याख्या की गई है तथा उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री के रूप सुश्री मायावती का चार साल का शासनकाल का विस्तारपूर्वक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है एवं सर्वप्रमुख अध्ययन के रूप में सुश्री मायावती के शासनकाल में प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजनाएँ— डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना का रायबरेली एवं फैजाबाद जनपद के सन्दर्भ में आलोचनात्मक, निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्थापना के एक दशक के भीतर ही अपनी सरकार बनायी। बहुजन समाज पार्टी का सरकारें बनाने का प्रमुख कारण उसका सुशासन या गवर्नेन्स की नीति थी। जिसके अन्तर्गत मुख्यमन्त्री द्वारा जनता दरबार का आयोजन, प्रदेश के जिलों का औचक निरीक्षण तथा गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही, बेहतर कानून—व्यवस्था एवं अपराध नियन्त्रण तथा जनहित के कार्यों पर जोर देना था। **सर्वप्रथम बहुजन समाज पार्टी ने सन् 1995 में साढ़े चार माह की सुश्री मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनायी। इसके पश्चात् दूसरी बार सन् 1997 में छः माह की तथा तीसरी बार सन् 2002 में 15 माह की सरकार बनायी एवं सुश्री मायावती के नेतृत्व में चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार सन् 2007 में बनी।**

गवर्नेन्स (शासन) का अर्थ :- गवर्नेन्स या शासन शब्द ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न है। इसका वास्तविक रूप से सबसे पहले प्रयोग महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा तक रूपक के संदर्भ

में किया गया। गवर्नेन्स का अर्थ 'रास्ता दिखाना' या 'मार्ग दिखाना' होता है। प्लेटों ने गवर्नेन्स को शासन करने के एक प्रकार के रूप में माना है। (Bloom, 1991:222) । वस्तुतः गवर्नेन्स को विभिन्न राजनीतिक शब्दालियों के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है जिसमें प्रायः गवर्नेन्स से अभिप्राय सर्वोच्च या प्रधान के रूप में आगे बढ़ने के रूप में या नियंत्रण इत्यादि माना जाता है। गवर्नेन्स को आक्सफोर्ड शब्दकोष में सरकार के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया है। (Verma and Sahai, 2003:316) ।

गवर्नेन्स या शासन के सन्दर्भ में सुशासन :- सुशासन वस्तुतः सरकार के गवर्नेन्स या शासन की एक प्रणाली से ही सम्बंधित है सुशासन की झलक भारतीय परिप्रेक्ष्य में सिन्धु सभ्यता से ही देखने को मिलती है उसके पश्चात वैदिक काल में भी सुशासन की अवधारणा की झलक देखने को मिलती है। सुशासन एक विशेषणयुक्त शब्द है तथा इसमें मूल्यों की झलक मिलती है। जबकि शासन या गवर्नेन्स को एक प्रक्रिया माना जाता है जो मूल्ययुक्त व्यवस्था या निरपेक्ष व्यवस्था की ओर इंगित करती है। सुशासन को प्रजातांत्रिक सांचे में दक्ष और प्रभावी प्रशासन से भी मिलाकर देखा जाता है। सुशासन उच्च स्तर की सांगठनिक प्रभाविकता को लागू करता है। यह राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्ति के केन्द्र की सक्षमता को जोड़ते हुए उसे समाज में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने को तैयार करने से सम्बंधित है। वस्तुतः सुशासन व्यवस्था की साख, व्यवस्था की वैधानिकता तथा उच्चतम दक्षता को स्थापित करने हेतु शासन के नवीन मूल्यों को आत्मसात करने की ओर इंगित करता है। (ओपी0, 2000:272) । साधारण आदमी की नजर में सुशासन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेहतर बिजली, पानी और रोटी की समस्या का समाधान करने का विकल्प है। वस्तुतः ऐसा शासन जिससे आम जन की सुविधाएं बढ़ सकें, आम जन के जीवन में सुधार हो सके, आम जन को विकास तथा आगे बढ़ने के समान अवसर तथा उचित परिवेश प्राप्त हो सके, भयमुक्त, भेदभाव रहित, उच्च मानवीय मूल्यों के समाज की रचना हो सके, सुशासन कहलाएगा। सुशासन प्रशासन के उच्चपदीय गुणों को स्थापित करने और उसके दुर्गुणों एवं कुरीतियों को दूर करने का कार्य है।

संक्षेप में, सुशासन दक्ष, साखयुक्त और वैधानिक प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना करता है जो कि नागरिक मित्र, मूल्यों को ध्यान में रखने वाली तथा लोक भागीदारी से परिपूर्ण है। कुछ विद्वानों ने सुशासन के संदर्भ में अपना भिन्न प्रकार से मत व्यक्त किया है। जिनमें वी०ए०पाइ० पाणिंदीकर सुशासन को एक राज्य राष्ट्र के रूप में लोगों को शांत, व्यवस्थित, तर्क सम्पन्न और भागीदारी युक्त जीवन की ओर ले जाने की व्यवस्था के रूप में देखते हैं।(सेन 1996:12)। विवेक चोपड़ा समाज के मूलभूत मूल्यों को बिना द्विअर्थो वह भ्रम पहचानने और उन्हें प्राप्त करने के रूप में सुशासन को परिभाषित करते हैं।(कश्यप, 1997:113)। ओ०पी०मिनोचा के अनुसार, सुशासन का सम्बंध शासन के नवीन मूल्यों को आत्मसात करने से है, जिससे और अधिक दक्षता, वैधानिकता और व्यवस्था की साख स्थापित की जा सके। साधारण शब्दों में, सुशासन को नागरिकों का मित्र, नागरिकों की देखभाल करने वाला तथा संवेदनशील प्रशासन कहा जा सकता है।(ओ०पी०, 1997:3)।

इसी प्रकार ओ०पी०मिनोचा ने विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए राजनीतिक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता की उपलब्धता, कानूनी बाध्यता, नौकरशाही, उत्तरदायित्व, सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता, दक्षता वह प्रभाविकता के साथ समाज एवं सरकार के मध्य सहयोग के रूप में सुशासन का क्रियात्मक दृष्टिकोण परिभाषित किया है। (आर०एस०, 2004 : 584)।

कल्याणकारी योजनाओं का अर्थ :- कल्याणकारी योजनाएँ मुख्य रूप से सरकार द्वारा जनता के हितार्थ चलाए गए कार्यक्रम होते हैं। इसके अन्तर्गत सरकारें समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता के रूप में जनता के लिए विशेष रूप से सरकारी सहायता कार्यक्रम चलाती हैं। जिससे जनता का सर्वांगीण विकास हो सके। वस्तुतः सरकार द्वारा चलाए गए कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत इन योजनाओं के लाभार्थियों को निःशुल्क सरकारी आर्थिक सहायता, निःशुल्क रूप से सरकारी आवास, निःशुल्क रूप से जमीन, निःशुल्क रूप से

व्यावसायिक उपकरण, पेंशन एवं अन्य मूलभूत भौतिक आवश्यक संसाधनों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

सर्वप्रमुख अध्ययन (Imperial Study) के अन्तर्गत शोध प्रबन्ध में शोधार्थी ने बसपा सरकार की निम्नलिखित चार योजनाओं पर शोध करने हेतु रायबरेली जिला के सदर ब्लाक राही तथा फैजाबाद जिला के सदर ब्लाक मसौधा का चयन किया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में निम्नलिखित चार योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है:—

1. डा. अम्बेडकर ग्राम विकास योजना— इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों को डा. अम्बेडकर ग्राम घोषित कर उनके सम्यक् एवं समग्र विकास का प्रयास किया जाता है। जिसमें गाँवों में स्कूल, अस्पताल, विद्युतीकरण, पेयजल सुविधाओं का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, स्वच्छता का प्रबन्ध एवं शौचालय की व्यवस्था की जाती है।(मायावती,2006:208)।

2. महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना— इसका प्रारम्भ 15 जनवरी 2009 से किया गया। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में बालिका के जन्म होने पर एक मुस्त धनराशि 18 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बैंक में सावधि जमा की जाती है। 18 वर्ष की आयु तक बालिका की अविवाहित रहने की स्थिति में उक्त जमा धनराशि से लगभग एक लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध होगी।(मायावती , 2011:491)।

3. सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना— यह योजना 15 जनवरी 2009 से शुरू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं को ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के बाद 15000 रुपये एवं एक साइकिल दी जायेगी। कक्षा-12 में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि सरकार द्वारा दी जायेगी।(मायावती , 2011:500)।

4. मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना— इस योजना के अन्तर्गत सर्व समाज की निराश्रित विधवाओं, विकलांगों एवं गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले शहरी पात्र गरीब नागरिकों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी।(मायावती , 2011:499)।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में बसपा के विभिन्न कार्यकालों विशेष रूप से 2007–2012 के कार्यकाल का अध्ययन किया गया है। तथा रायबरेली सदर के राही ब्लाक एवं फैजाबाद सदर के मसौधा ब्लाक में उपरोक्त चार योजनाओं का तुलनात्मक रूप से निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय संदर्भ में गवर्नेस या सुशासन कोई नई अवधारणा नहीं है। यह हमें प्राचीन काल से ही परिलक्षित दिखती है। ऐसी पर्याप्त प्रमाण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन भारत के अनेक भागों में गणतन्त्र शासन प्रणाली, स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ विद्यमान थीं।

वैदिक काल के अन्तर्गत ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा (आम सभा) तथा समिति (वयोबृद्धों की सभा) का उल्लेख मिलता है। पाणिनी की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत, अशोक स्तम्भों पर उत्कीर्ण लेख, उस काल के बौद्ध तथा जैन ग्रन्थ और मनुस्मृति—ये सभी इस बात के साक्ष्य हैं कि भारतीय इतिहास के वैदिकोत्तर काल में अनेक सक्रिय गणतन्त्र विद्यमान थे।

दशवीं शताब्दी में शुक्राचार्य ने 'नीतिसार' की रचना की जो संविधान पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें केन्द्रीय सरकार के संगठन एवं ग्रामीण तथा नगरीय जीवन, राजा की परिषद और सरकार के विभिन्न विभागों का वर्णन किया गया है।

गणराज्य, निर्वाचित राजा, सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थान बाद में लुप्त हो गए, किन्तु ग्राम स्तर पर ग्राम संघ, ग्राम सभा अथवा पंचायत जैसे प्रतिनिधि-निकाय जीवित रहे और अनेक हिन्दू तथा मुस्लिम राजवंशों के शासन के दौरान तथा अंग्रेजी शासन के आगमन तक कार्य करते रहे और फलते-फूलते रहे।

अंग्रेज भारत में व्यापारी बन कर आये थे तथा 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कम्पनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी तथा समय-समय पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कम्पनी के शासन के लिए नियम-कानून बनाये जाते रहे।

इसके अन्तर्गत **रेग्युलेंटिंग एक्ट, 1773** जिसमें भारत में कम्पनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। **चार्टर एक्ट, 1833** जिसमें सपरिषद गवर्नर जनरल के विधि निर्माण अधिवेशनों तथा उसके कार्यपालक अधिवेशनों में अन्तर करते हुए

भारत में अंग्रेजी शासनाधीन क्षेत्रों के शासन में संस्थागत विशेषीकरण का तत्व समाविष्ट किया गया।

1858 एक्ट, यह एक्ट **“भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट”** इस एक्ट के अधीन उस समय जो भी भारतीय क्षेत्र कम्पनी के कब्जे में थे सब क्राउन में निहित हो गये। **भारतीय परिषद एक्ट 1861** तथा **भारतीय एक्ट परिषद 1909**, **भारतीय शासन एक्ट 1919**, **भारतीय शासन एक्ट 1935**, इत्यादि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा समय-समय पर शासन की दिशा में विभिन्न कानून जोड़े जाते रहे हैं।

भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् डा० बी०आर० अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान संसदीय शासन प्रणाली से युक्त है तथा यह वयस्क मताधिकार, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, नागरिकता, मूल कर्तव्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका इत्यादि विशेषताओं से युक्त है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सम्प्रभुता, समाजवाद, पन्थनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता इत्यादि भारत में मजबूत सुशासन के आधार स्तम्भ हैं।

जवाबदेहिता, सुशासन का प्राथमिक एवं मौलिक गुण हैं इसके बिना सुशासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जवाबदेहिता का सिद्धान्त नैतिक एवं व्यवहारिक होना आवश्यक है। आज जवाबदेहिता की नवीन प्रवृत्तियाँ देखने को मिल रही हैं। जैसे— प्रशासनिक प्रक्रिया में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, सूर्यास्त विधायन, शून्य आधारित बजट, परिणाम आधारित बजट, जेण्डर बजट, नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार, जनहित याचिका एवं न्यायिक सक्रियता, सामाजिक अंकेक्षण इत्यादि सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं नवीन प्रयास है। मान्यवर कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को अपनी अध्यक्षता में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। इसके पूर्व वह बामसेफ जोकि शिक्षित कर्मचारियों का संगठन था तथा डी०ए०फोर की स्थापना कर चुके थे। बहुजन समाज पार्टी का तात्पर्य अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से है। जिनकी संख्या देश के आबादी में 85 प्रतिशत है। बसपा के गठन के होते ही उसने 1984 के संसदीय चुनाव लड़ा तथा सारे देश में 10 लाख वोट प्राप्त किये। पंजाब के विधानसभा चुनाव में उसने

खास कारामात दिखाई और कांग्रेस की झोली से 2.2 प्रतिशत वोट निकाल लिये थे। यह वह दलित वोट थे जिनसे कांग्रेस अकालियों को हरा सकती थी। सर्व प्रथम बसपा ने उत्तर प्रदेश में 1993 के 12वीं विधानसभा के चुनाव में 67 सीटें जीत कर समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर गठबन्धन सरकार में भागीदारी की। इसके पश्चात् ब0स0पा0 ने कांशीराम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तथा 1995 में उत्तर प्रदेश में हुये चुनाव में भाजपा के साथ गठबन्धन कर सरकार बनायी तथा मायावती ने उत्तर प्रदेश में प्रथम देश की दलित महिला के रूप में मुख्यमन्त्री पद की शपथ ग्रहण की। इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश में 1997 में, 2002 में पुनः भाजपा से गठबन्धन करके मायावती मुख्यमन्त्री बनी।

सन् 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग (दलित एवं सर्वांग गठजोड़) के माध्यम से उत्तर प्रदेश में दशको बाद 404 विधानसभा की सीटों में 206 सीटें प्राप्त कर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनायी।

शोध कार्य का क्षेत्र

शोधार्थी द्वारा अपने शोध कार्य के विषय **विकासात्मक नीतियों का संचालन एवं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल : रायबरेली तथा फैजाबाद जनपद के विशेष सन्दर्भ में (2007–2012)** के अन्तर्गत अध्याय-5 में सर्वप्रमुख रूप से मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना ,महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के लिए रायबरेली जनपद का विकास खण्ड रही तथा फैजाबाद जनपद का विकास खण्ड मसौधा एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्राम के सर्वेक्षण के लिए रायबरेली जनपद के विकास खण्ड रही के अन्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्राम गढ़ीमुतवल्ली तथा फैजाबाद जनपद में डाँ0 अम्बेडकर ग्राम के लिए मसौधा विकासखण्ड के अन्तर्गत खानपुर मसौधा का चयन सर्वेक्षण के लिए किया गया। शोधार्थी द्वारा प्रत्येक योजना के लिए 50 प्रतिवादी से प्रश्नोंत्तर किया गया , जिसमे 24 पुरुष एवं 26 महिलाए शामिल है। रायबरेली जनपद में कुल 200 प्रतिवादी एवं फैजाबाद जनपद में कुल 200 प्रतिवादी अर्थात् सम्पूर्ण रूप से कुल 400 प्रतिवादियों से प्रश्नोंत्तर किया गया।

शोधार्थी द्वारा अपने शोध का क्षेत्र रायबरेली जनपद एवं फैजाबाद जनपद लेने का कारण यह है कि चूँकि रायबरेली जनपद शोधार्थी का गृह क्षेत्र है एवं रायबरेली जनपद राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी का लोकसभा ससंदीय क्षेत्र होने के कारण चर्चित रहता है एवं फैजाबाद जनपद अवध क्षेत्र का सर्वाधिक बड़ा मण्डल है एवं फैजाबाद की सीमा से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपद सटे हुए हैं। अतः शोधार्थी ने बसपा शासनकाल में बसपा द्वारा प्रारंभ की गयी इन चार कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर शोध करने का निर्णय किया।

शोध समस्या

1. दलित उत्थान में बसपा की भूमिका का अध्ययन करना।
2. बसपा की तीन पूर्ववर्ती सरकारों में “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” की नीति के अन्तर्गत किए गए कार्यों का अध्ययन करना तथा बसपा के चौथे शासनकाल की सर्वजन की नीति के अन्तर्गत किए गए कार्यों में “सुशासन” की भूमिका का अध्ययन करना।
3. सोलहवें विधानसभा चुनाव जो सन् 2012 में सम्पन्न हुए, बसपा की पराजय की कारणों की समीक्षा करना।
4. बसपा के आंतरिक संगठन में सुशासन का अध्ययन।
5. बसपा की चौथी सरकार में “सोशल इंजीनियरिंग” के कारण दलित एजेण्डे पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अध्ययन करना।
6. रायबरेली जनपद के राही ब्लाक तथा फैजाबाद जनपद के मसौंधा ब्लाक में डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजनाओं के क्रियान्वयन का वर्ष 2007-12 के मध्य का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रश्न

1. शासन एवं विकास का सैद्धान्तिक विश्लेषण करना।
2. सुशासन की संरचनात्मक अवधारणा की वैश्विक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना।

3. दक्षिण एशिया में शासन एवं विकास की स्थिति का आंकलन करना तथा मानव विकास की अवस्था का पता लगाना।
4. दलित समाज का बसपा की ओर झुकाव का क्या कारण था ?
5. बसपा की नीति “बहुजन से सर्वजन तक” के क्या कारण थे ?
6. क्या बसपा अपने चौथे शासनकाल में पिछले तीन शासनकाल जो बेहतर शासन व्यवस्था के कारण चर्चित थे, को निरन्तर रख पाई ?
7. बसपा की सर्वजन की नीति से उसके दलित एजेण्डे पर क्या प्रभाव पड़ा ?
8. सोशल इंजीनियरिंग के कारण सवर्णों को क्या लाभ मिला ?
9. क्या फैजाबाद के मसौंदा ब्लॉक एवं रायबरेली के राही ब्लॉक में बसपा सरकार की विभिन्न योजनाओं – डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का सही क्रियान्वयन हो पाया है?

शोध उद्देश्य

1. भारत के विशेष सन्दर्भ में शासन एवं विकास का सैद्धान्तिक विश्लेषण करना।
2. सुशासन की संरचनात्मक अवधारणा की वैश्विक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना।
3. दक्षिण एशिया में शासन एवं विकास की स्थिति का आंकलन करना तथा मानव विकास की अवस्था का पता लगाना।
4. डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के प्रारंभ करने के कारणों एवं उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में शासन की भूमिका अध्ययन करना तथा यह योजनाएं बसपा की सोशल इंजीनियरिंग में कितनी सहायक सिद्ध हुई हैं, इसका अध्ययन करना।

5. डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के प्रारंभ होने से महिला सशक्तीकरण में इनकी भूमिका का अध्ययन करना।
6. उत्तर प्रदेश में बसपा की स्थापना के कारणों का तथा दलित समाज का बसपा की ओर झुकाव के कारणों का अध्ययन करना।
7. बसपा के चारों शासनकाल में सुशासन का अध्ययन करना।
8. बसपा के संगठन में सुशासन का अध्ययन करना।
9. दलितों के उत्थान में बसपा की भूमिका का अध्ययन करना।
10. बसपा की सोशल इंजीनियरिंग के कारण दलित एजेण्डे पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
11. रायबरेली जनपद के राही ब्लाक तथा फैजाबाद जनपद के मसौंदा ब्लाक में बसपा सरकार की चार योजनाओं— डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, सावित्रीबाईफुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के सही क्रियान्वयन का एक तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में विकास की विभिन्न नीतियों के अभिशासन में विभिन्न सामाजिक वर्गों की सहभागिता को बढ़ावा दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक विकास की दर में बढ़ोत्तरी हुई।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, एवं तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तियों के साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जायेगी। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तक, आर्टिकल, जर्नल्स और इन्टरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त पद्धति का सहारा लेते हुए में बसपा के विभिन्न शासनकालों में सुशासन की भूमिका एवं फैजाबाद जनपद के मसौंघा ब्लाक तथा रायबरेली जनपद के राही ब्लाक में बसपा सरकार की विभिन्न योजनाएँ— मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना, डॉ० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना का शोधार्थी निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तथा तुलनात्मक विश्लेषण शोध के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शोध निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के मुख्य शोध निष्कर्ष निम्नवत् है— जिसके अन्तर्गत **मायावती द्वारा अपने शासनकाल में डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत डा० अम्बेडकर ग्राम का चयन किया गया।** डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित रायबरेली जनपद एवं फैजाबाद जनपद के डा० अम्बेडकर ग्राम का शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया कि डा० अम्बेडकर ग्राम में पक्की सड़क, नाली, खड्डंन्जा का निर्माण किया गया है एवं शासन के शासनादेश के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया गया है जहां पर ग्रामवासी अपनी बीमारियों का प्राथमिक उपचार आसानी से करा सकते हैं। इसके साथ ही शासनादेश के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें ग्रामीण बच्चे शिक्षा प्राप्त करके अपना विकास कर सकते हैं इसके साथ ही डा० अम्बेडकर ग्राम में विद्युतीकरण भी पूर्ण रूप से किया गया है जो कि डा० अम्बेडकर ग्राम के मानक को पूरा करता है।

डा० अम्बेडकर ग्राम में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वालों के लिए इन्दिरा आवास की सुविधा उपलब्ध होने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही गरीब किसानों को किसान पेंशन योजना एवं निराश्रित विधवा महिलाओं को सरकारी विधवा पेंशन का लाभ मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है एवं वास्तविक जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि बसपा ने अपने शासनकाल में शासनादेश में डा० अम्बेडकर ग्राम के मानक में गांव में शराब की दुकान नहीं होने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया है

इसमें इसका पूर्णतः पालन किया गया है एवं रायबरेली तथा फैजाबाद जनपद के डा0 अम्बेडकर ग्राम में कहीं भी शराब की दुकान नहीं है।

डा0 अम्बेडकर ग्राम में सरकार की तरफ से ग्रामवासियों के पशुओं को उन्नत प्रजाति के पशु की प्रजाति उत्पन्न कराने के लिए सरकारी गर्भाधान की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है एवं पशुओं का टीकाकरण भी विशेष रूप से डा0 अम्बेडकर ग्राम में सरकार द्वारा समय-समय पर कैम्प लगाकर कराया जाता रहा है तथा गांव में रहने वाले विकलांगों की सुविधा के लिए विकलांगता सहायक उपकरण का भी निःशुल्क वितरण किया गया है। इसके साथ ही डा0 अम्बेडकर ग्रामवासियों को निःशुल्क आवासीय पट्टे का आवंटन किया गया जिनके पास भूमि नहीं थी तथा ग्रामवासियों को सरकार की तरफ से मछली पालन हेतु पट्टा का आवंटन किया गया। इसके साथ ही डा0 अम्बेडकर ग्राम में गरीबी एवं बेरोजगारी से निपटने के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार या मनरेगा सहित अन्य संचालित सरकारी योजनाओं को शासन द्वारा पूरी सजगता के साथ इच्छुक व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया गया।

शोध-परिकल्पना की जाँच

शोधार्थी की शोध परिकल्पना उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में विकास की विभिन्न नीतियों के अभिशासन में विभिन्न सामाजिक वर्गों की सहभागिता को बढ़ावा दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक विकास की बढ़ोत्तरी हुई है। डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत यह पूर्णतः पैमाने पर सही पाई गई है। वास्तविक रूप से डा0 अम्बेडकर विकास योजना के संचालन से सामाजिक विकास की दर में बढ़ोत्तरी हुई है एवं डा0 अम्बेडकर विकास योजना अपने माध्यम से सफल रही है।

इसी प्रकार मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत रायबरेली जनपद एवं फैजाबाद जनपद में बसपा शासनकाल में निर्मित कालोनी में शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया कि कालोनी के पात्र लाभार्थियों के चयन में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है एवं शासन द्वारा निर्धारित मानक का पूरी तरह से पालन किया

गया है। इसके साथ ही भवन आवंटन में कही पर भी भ्रष्टाचार की शिकायत या गड़बड़ी नहीं मिली है। प्रत्येक आवंटी को मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित कालोनी में आवास निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार निर्मित कालोनी में सभी आवंटियों को शासन द्वारा बिजली, पानी की सुविधा प्रदान की गई है एवं गृहकर तथा जलकर से पूर्ण रूप से निःशुल्क है। मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में निर्मित कालोनी में सफाई की सुविधा का प्रबंध नहीं है एवं स्ट्रीटलाइट की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। रायबरेली जनपद में निर्मित कांशीराम कालोनी में शासन के सरकारी आदेश के अनुरूप प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है वहीं फैजाबाद में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा निर्मित कांशीराम कालोनी में उपलब्ध है। इसी प्रकार रायबरेली एवं फैजाबाद दोनो जनपदों में कांशीराम कालोनी में वहाँ के निवासियों के लिए रोजमर्रा की वस्तुओं की खरीद हेतु तथा छोटी-मोटी आवश्यकतानुसार वस्तुओं की खरीद हेतु कालोनी में किर्योस्क/छोटी दुकाने उपलब्ध है। इसके साथ ही रायबरेली एवं फैजाबाद जनपद में कांशीराम कालोनी में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आंगनबाड़ी की भी सुविधा उपलब्ध है जिसमें बच्चे पढ़ाई-लिखाई, खेलकूद, व्यायाम एवं पोषक आहार का आनंद प्राप्त करते हैं। रायबरेली एवं फैजाबाद जनपद में निर्मित कांशीराम कालोनी में स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा नहीं प्राप्त है जो कि कांशीराम कालोनी के निर्धारित शासनादेश के विपरीत है। इसी प्रकार कांशीराम कालोनी में आवास के आवंटन में पूर्ण रूप से नियमानुसार आरक्षण-व्यवस्था का पालन किया गया है। कांशीराम कालोनी में निर्मित आवास गुणवत्ता के दृष्टिकोण पर खरे नहीं उतरे हैं एवं यह अपने निर्माण के कुछ समय के पश्चात ही जर्जर अवस्था में पहुँच गए हैं।

शोध-परिकल्पना की जाँच

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रही है। इस योजना से शहरी गरीब जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के नागरिक आते हैं इनको

निःशुल्क रूप से आवास बसपा शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है इससे निश्चित रूप से सामाजिक वर्गों की सहभागिता को बढ़ावा मिला है जिसके फलस्वरूप सामाजिक विकास की दर में बढ़ोत्तरी हुई है।

इसी प्रकार सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत रायबरेली एवं फैजाबाद जनपद में शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि लाभार्थी पात्र बालिकाएँ गरीबी रेखा के नीचे की ही श्रेणी में आती हैं इस सम्बंध में शासन द्वारा पारित शासनादेश का पूर्णतः पालन किया गया है एवं बालिकाओं को हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पन्द्रह हजार रुपये एवं एक लेडीज साईकिल योजना के अनुरूप मिली है इसी प्रकार इण्टरमीडिएट में बालिकाओं को प्रवेश लेने पर दस हजार नगद राशि सरकार द्वारा बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध कराई गई है जिसके माध्यम से समाज की कमजोर वर्ग की बालिकाओं में पढ़ाई के लिए धनराशि एवं साईकिल मिलने से आत्म विश्वास की भावना का संचार हुआ है एवं उनके परिवार में भी अपनी बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिला है। उपरोक्त योजना का लाभ मिलने के पश्चात बालिकाओं में भी आगे पढ़ने की ललक देखने को मिली जिससे उनमें आत्म विश्वास की भावना का संचार हुआ एवं उनके परिवार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया। ऐसा केवल सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के सफल संचालन के फलस्वरूप ही संभव हो सका है।

इसके अतिरिक्त सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना का एक निष्कर्ष यह भी निकला है कि इस योजना का लाभ मिलने पर लाभार्थी बालिकाओं के जीवन में काफी परिवर्तन हुआ है एवं उनके जीवन में सुधार भी आया है। उनकी स्थिति अन्य समय की अपेक्षा अधिक बेहतर हुई है।

वास्तविक रूप में सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य सही पाया गया। क्योंकि शोधार्थी द्वारा यह पाया गया कि बालिकाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ है। उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी न कभी महिला होने के नाते भेदभाव का सामना किया है। यह बात सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना प्रारंभ करने के

कारणों में से एक रही है। इसी प्रकार सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि जिन बालिकाओं ने सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना का लाभ लिया उनके ऊपर परिवार द्वारा जल्दी विवाद करने इत्यादि का दबाव नहीं बनाया गया। इससे भी इस योजना की सार्थकता का पता चलता है। वस्तुतः इस योजना का लाभ मिलने के पश्चात् बालिकाओं ने अपनी पढ़ाई में लगातार सकारात्मक एवं बेहतर प्रदर्शन किया है एवं उनको अच्छी सरकारी नौकरियाँ भी मिली है। जिससे उनकी परिवार पर आत्मनिर्भरता कम हुई है तथा बालिकाएं स्वयं रोजगार प्राप्त कर अपने परिवार का भरण-पोषण करने लगी है ।

शोध-परिकल्पना की जाँच

बसपा शासनकाल में प्रारंभ सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रही एवं इससे समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है तथा समाज में भ्रूणहत्या पर लगान लगाने में मदद मिली है, लिंगानुपात में सकारात्मक सुधार हुआ है तथा अभिभावक अपनी बेटियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना से उत्तर प्रदेश में विभिन्न सामाजिक वर्गों की सहभागिता को बढ़ावा मिला है जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विकास की दर में बढ़ोत्तरी हुई है।

इसी प्रकार महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के सम्बंध में शोधार्थी द्वारा रायबरेली एवं फैजाबाद जनपद में सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया कि महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का उद्देश्य लड़का एवं लड़की में भेद के अन्तर को समाप्त करना है । यह सही पाया गया कि लड़का एवं लड़की के मध्य भेद होता है। शोधार्थी द्वारा यह पाया गया कि ऐसा होने का मुख्य कारण अशिक्षा एवं परम्परागत अविवाहिता तथा गरीबी है। कहीं न कहीं परिवार में लड़का पैदा होने की चाहत होती है। लड़की की अपेक्षा इसका कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है एवं लड़कियों का परिवार पर निर्भरता है। इसलिए सर्वेक्षण में शोधार्थी ने पाया कि परिवार में बेटे के जन्म पर प्रसन्नता कम होती है।

महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना प्रारंभ होने से समाज में बेटों के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आया है एवं इस योजना से लाभान्वित अभिभावकगण अब यह चाहते हैं कि उनकी अन्य संतान भी बालिका ही हो। यह महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के सफल होने का महत्वपूर्ण सूचक है।

महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना प्रारंभ करने के उद्देश्यों में एक उद्देश्य बाल-विवाह होना भी है तथा शासन की यह नीति थी कि इस योजना के प्रारंभ होने से बाल-विवाह को रोकने में सहायता मिलेगी जिसमें सर्वेक्षण में यह पाया गया कि सरकार को आशातीत सफलता भी प्राप्त हुई है जो महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना की सफलता का सूचक है इसी प्रकार समाज में प्रचलित भ्रूणहत्या को भी रोकने में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना को सहायक माना जा रहा है जो पूर्णतः सर्वे में पाया गया कि इससे पूर्ण रूप से भ्रूणहत्या रोकने में सहायता प्राप्त होगी।

इसी प्रकार महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के प्रारंभ होने से समाज में बालिका के जन्म को लेकर प्रोत्साहन ही मिला। इससे भी इस योजना की सफलता सार्थक होती है। वस्तुतः महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना अपने उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णरूप से सफल रही है। इस योजना से गरीबी रेखा के नीचे अर्थात् बीपीएल श्रेणी के परिवारों में बालिकाओं के जन्म होने पर उनके भविष्य को लेकर उठने वाली चिंताएँ वास्तव में दूर हुई हैं तथा समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ है।

शोध-परिकल्पना जाँच

महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रही है। इसके संचालन से समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है एवं बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन मिला है। अतः इस योजना से समाज में व्यापक रूप से परिवर्तन आया है।

वस्तुतः मायावती ने अपने शासनकाल में कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने में बेहतर एवं सुविधाजनक बनाया। जिससे आम जनता राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुई, ऐसा मायावती के कुशल शासन—प्रबन्धन की योग्यता के कारण ही सम्भव हो सका।